रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इन पदों का सृजन इसलिए किया गया क्योंकि कार्यभार और पदों के सृजन संबंधी वर्तमान मापदण्ड के आधार पर इनका औचित्य था ।

डिवीजनल सुपरिटेंडेंट कार्यालय, लखनऊ की उच्च शक्ति प्राप्त समिति

2486. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 363 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट कार्यालय, लखनऊ की उच्च शक्ति प्राप्त समिति के प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है.

(ख) इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) लखनऊ के मंडल अधीक्षक कार्यालय के लिए उच्चाधिकार समिति नाम की कोई समिति नहीं बनाई गई थी । 12-11-1968 को अतारांकित प्रश्न 363 के उत्तर में जिस समिति का उल्लेख किया गया है उसकी नियुक्ति सम्पूर्ण रेलों की नीति सम्बन्धी सभी पहलुओं की जांच के लिए लिए की गई थी ।

(ख) और (ग). उच्चाधिकार समिति की विभिन्न सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है और इस पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

रेलवे मंत्रालय में कर्मचारी

2487. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 20 अप्रैल, 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/45/60—एस्टेब्लिशमेंट (डी०) के अनुसार रेलवे सेवा आयोग तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलवे के कर्मचारियों को वरिष्ठता न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल, 1961 को आदेश जारी किया था कि सामान्यतः किसी उम्मीदवार को स्थायी करने का क्रम योग्यता सूची में उसकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये लेकिन जहां इस सामान्य नियम से हट कर किसी निचली स्थिति वाले उम्मीदवार को स्थायी करने के मामले में तरजीह दी जाये वहाँ प्रवरता के मामले में भी उसके साथ वैसा ही विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिये ।

चूंकि रेलों पर बिना बारी के किसी को स्थायी नहीं किया जाता, इसलिये उपर्युक्त आदेशों को अपनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। लेकिन इस मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है ।

Ticketless Travel on Western Railway

2488. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of persons caught for travelling without tickets at Bulsar, Surat, Broach, Baroda, Anand, Ahmedabad and Dohad stations of the Western Railway since 1st January, 1968 ;

(b) the amount realised by Government as penalty from them ; and

(c) the number of persons arrested for not paying the amount of penalty.

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) to (c). A statement giving information for the period 1.1.68 to 31.1.69 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-284/69]

लघु उद्योगों पर लोकानाथन समिति

2489. **श्री सूरजभान** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामगोपाल शालवाले :